

## राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

| क्र.सं. | अपील संख्या, अपीलार्थी का नाम एवं पदनाम                  | प्रत्यर्थागण का नाम   | प्रस्तुतिकरण की दिनांक | आलोच्य आदेश की दिनांक एवं अनुलग्नक   | अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्था विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम           |
|---------|--|---|------------------------|--|---|
| 1.      | 459/2025<br>नरोत्तम कुमार मीणा,<br>कृषि पर्यवेक्षक       | प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।   | 17.01.2025             | 15.01.2025<br>(अनुलग्नक-1)   | श्री सुधीर गुप्ता,<br>अभिभाषक   |
| 2.      | 802/2025<br>महेन्द्र सिंह मीना,<br>सहायक आचार्य (हिन्दी) | राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।                   | 20.01.2025             | 24.08.2024<br>(अनुलग्नक-1),<br>02.09.2024<br>(अनुलग्नक-7),<br>20.11.2024<br>(अनुलग्नक-8),<br>17.12.2024<br>(अनुलग्नक-11),<br>23.12.2024<br>(अनुलग्नक-12)<br>एवं<br>18.01.2025<br>(अनुलग्नक-16 एवं<br>17) | श्री विजय पाठक,<br>अभिभाषक  |
| 3.      | 864/2025<br>विनोदी देवी,<br>एएनएम ग्रेड III              | राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य। | 20.01.2025             | 15.01.2025<br>(अनुलग्नक-1)   | श्री शोवित झांझरिया,<br>अभिभाषक<br>एवं  |
| 4.      | 865/2025<br>डॉ. सुनील कुमार मीना,<br>चिकित्सा अधिकारी    | राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।                         | 20.01.2025             | 15.01.2025<br>(अनुलग्नक-1)   | श्री संजीव सिंघल,<br>राजकीय अधिवक्ता  |
| 5.      | 866/2025<br>दर्शना,<br>एएनएम                             | राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।                | 20.01.2025             | 15.01.2025<br>(अनुलग्नक-1)   | श्री कुमावत रितेश<br>रतनलाल, अभिभाषक<br>एवं<br>श्री संजीव सिंघल,<br>राजकीय अधिवक्ता |
| 6.      | 877/2025<br>राजेश कुमार वर्मा,<br>नर्सिंग ऑफिसर          | राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।                        | 20.01.2025             | 15.01.2025<br>(अनुलग्नक ए-1)   | श्री सुरेन्द्र सिंह,<br>अभिभाषक   |

आदेश की दिनांक : 11.02.2025

समक्ष :- विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष  
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

### आदेश

मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में

शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त समस्त अपीलों पर सुनवाई की गई।

उपरोक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों में अपीलार्थीगण की ओर से स्थानान्तरण आदेश को चुनौती दी गई और समस्त अपीलों में अपीलार्थीगण ने अपने स्थानान्तरण होने से स्थानान्तरण के संबंध में इस आधार पर प्रार्थना की है कि स्थानान्तरण से उनको पारिवारिक एवं व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अतः अपीलार्थीगण के संबंध में जारी किया गया स्थानान्तरण आलोच्य आदेश अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थीगण को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपीलों में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावें। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

हमने अपीलार्थीगण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थीगण का स्थानान्तरण सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार किया गया है। जहां तक अपीलार्थीगण की व्यक्तिगत परेशानियों का प्रश्न है, ऐसी स्थिति में हम मामलों की वर्तमान परिस्थिति एवं तथ्यों तथा अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थीगण आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों को ध्यान में रखते हुये आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दें।

अतः उक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलें, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(अनन्त भंडारी)  
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)  
अध्यक्ष